सार-समाचार

सोने की चैन तोड़कर भागने वाली गैंग के तीन सह-आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। जीआरपी पुलिस टीम ने ट्रेन मे यात्रा के दौरान महिला यात्री के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़ने के मामले में कार्यवाही करते हुए गैंग के तीन सह-अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जीआरपी थानाधिकारी ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन तिरूअन्तपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोटा पहुंचने पर यात्रा के दौरान महिला यात्री के गले पर झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़कर भागने के मामले में पकड़े गये मुख्य आरोपी युवराज सिंह चन्देल के तीन सह-आरोपी आलोक झा, सूरज भिसे, और आसिफ चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी थानाधिकारी ने बताया कि 24 मार्च को हजरत निजामुद्दीन तिरूअन्तपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस में महिला यात्री विजय एलवीतिल ने रिपोर्ट दी थी कि ट्रेन के कोटा पहुंचने पर चलती ट्रेन से झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़कर ले गया। जिस पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए युवराज सिंह चंदेल को गिरफ्तार किया था। मामले में तीन सह-आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पोषण किट वितरित किये

कोटा, (निसं)। जे.के.लोन अस्पताल में भर्ती प्रसूति महिलाओं को पोषण किट वितरित किए साथ ही जिन्होंने कन्या रत्न को जन्म दिया है उन माताओं और नवजात कन्याओं का माला पहनाकर सम्मान किया गया। क्लब फाउंडर उमा पाठक ने बताया कि सभी क्लब सदस्यों के अंशदान से 50 से अधिक प्रसूति महिलाओं और नवजात कन्याओं एवं नवजात बालकों को कुपोषण से बचाने हेतु बदाम, खोपरा गोला, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, दलिया, मूंग दाल गुड, अजवाइन, व बिस्किट के पैकेट आदि जच्चा बच्चा को भेंट किया गये। कार्यक्रम का संयोजन कोषाध्यक्ष संजना अग्रवाल, सरिता परियानी, राशन बैंक अध्यक्ष पूजा कत्याल ने किया। इस अवसर क्लब सह-संचालक रमा नैयर, संरक्षक पुष्पलता शर्मा, सचिव ज्योति सुवालका, नीतू गौड़, सलाहकार शशि सिंह, रानी शर्मा, सांस्कृतिक सचिव रजनी मोदी, तृप्ति योजना प्रभारी प्रवीण शर्मा, रेनू चावला, मोना अवस्थी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जे.के.लोन अस्पताल की अधीक्षक एवं नर्सिंग स्टॉफ का विशेष सहयोग रहा।

कार्यशाला आयोजित

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की संभाग स्तरीय अंतर्विभागीय कार्यशाला बुधवार को होटल लीलाक में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं परिक्षेत्र कोटा डॉ. एमपी सिंह ने की। बैठक में कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अतरिक्त नोडल अधिकारी आरबीएसके शामिल हुए। बैठक में सभी जिलों की वार्षिक प्रगति की समीक्षा की गई एवं आगामी एक अप्रैल से शुरू हो रही आंगनबाड़ी स्क्रीनिंग हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही डॉ.एमपी सिंह द्वारा अब तक रेफर किए गए सभी बच्चों का व्यवस्थित रूप से जिला एवं संभाग स्तर पर साप्ताहिक ट्रीटमेंट डे आयोजित कर शत-प्रतिशत उपचार करवाने के निर्देश दिए। स्क्रीनिंग माइक्रो प्लान समय पर तैयार कर शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साझा कर सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने पर जोर दिया ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल संचालन हो सके।

जान बचाने पर पुलिसकर्मी सम्मानित

कोटा, (निसं)। जिला झालावाड के खंडीया तिराहे पर ड्यूटी के दौरान खंडीया तालाब में डुबते हुए व्यक्ति की जान बचाने वाले दो पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिरीक्षक रविदत्त गौड ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस महानिरीक्षक रवि दत्त गौड ने बताया कि यातायात शाखा जिला झालावाड़ में पदस्थापित कांस्टेबल गुलाबचंद और कांस्टेबल रामावतार 19 मार्च को खंडिया तिराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान एक बच्चे ने अपने पिता सुरेश पारेता की खंडिया तालाब के दलदल में फंसने व डुबने की सूचना दोनों पुलिसकर्मियों को दी। जिस पर दोनों कांस्टेबल ने स्वविवेक से उचित निर्णय लेकर डुबे व्यक्ति सुरेश पारेता को तालाब से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई। जिस पर दोनों कांस्टेबलो को नकद ईनाम मय प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मादक पदार्थ में वांछित ईनामी आरोपी डिटेन

कोटा, (निसं)। रामपुरा कोतवाली पुलिस टीम ने मादक पदार्थ के मामले में वांछित चल रहे ईनामी आरोपी को डिटेन किया। डिटेन किये गये आरोपी को मामले में अनुसंधान के लिये कैथूनीपोल थाने को सुपुर्द किया गया। रामपुरा कोतवाली के थानाधिकारी महेश कुमार कारवाल ने बताया कि 13 मार्च को अवैध मादक पदार्थ 5 ग्राम 28 मिलीग्राम स्मैक सहित आरोपी करबला निवासी मोहम्मद अयाज को गिरफ्तार किया था। मामले का अनुसंधान कैथूनीपोल थानाधिकारी पुष्पेन्द्र बंशीवाल द्वारा किया जा रहा था, अनुसंधान में पकड़े गये आरोपी ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक को आरोपी एजाज से खरीद कर लाना बताया जो घटना के बाद से फरार चल रहा था।

मोशन एजुकेशन ने लॉटरी निकालकर स्कॉलरशिप दी

■ देशभर के 78 हजार स्टूडेंट्स ने किया ऑनलाइन आवेदन

कोटा, (निसं)। मोशन एजुकेशन की ओर से बुधवार शाम जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने के लिए लॉटरी निकली गई। इसके लिए देशभर के 78 हजार स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन आवेदन किया।

आवेदन करने वाले इन विद्यार्थियों में से हर पांच में से एक को अमृत कोर्स निशुल्क प्रदान किया गया। यह विद्यार्थी मोशन लर्निंग एप के जरिए नीट या जेईई की ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने बताया कि मोशन गत 4 वर्ष से अपने यू-ट्यूब चैनल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हुई कमाई से जेईई और नीट स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप दें रहा है। इसमें प्रथम पुरस्कार के लिए दीपककुमार यादव का नाम निकला। उनको मोशन के ध्रुव रेजीडेंशयल कैम्पस में एडमिशन मिलेगा। उनको कोटा क्लास रूम कोचिंग की फीस और रहने-खाने का खर्च (करीब तीन लाख रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप) दिया जाएगा। 61 छात्र-छात्राओं को कोटा मोशन या इसके किसी भी लर्निंग सेंटर पर क्लास रूम कोचिंग निशुल्क देने की घोषणा की। इनमें जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए मोशन में नहीं आ पाएंगे, उनको अनुशासन बैच के जरिए ऑनलाइन लाईव पढ़ाया जाएगा।

इसके अलावा दस दिव्यांग स्टूडेंट्स को अलग से सौ प्रतिशत स्कॉलरशिप दी गई। 301 क्लासरूम स्टूडेंट्स को 25,000, 501 को 45,000 और 1101 स्टूडेंट्स को 70,000 रुपए में कोटा क्लास रूम कोचिंग देने की घोषणा की गई। लॉटरी के लिए मोशन में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने भी एप्लाई किया। इनमे से तीन विद्यर्थियों-आसुतोष मौर्य, मोहम्मद उमर अंसारी और यश की फीस लौटकर क्लासरूम कोचिंग निशुल्क दी जाएगी।

सैनिकों और पुलिसकर्मियों के बच्चों को मोशन देगा फीस की 50 फीसदी छात्रवृत्ति-नितिन विजय ने बताया कि देशभर में स्थित मोशन के स्टडी सेंटर्स में भी लॉटरी निकलकर 546 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सैनिकों और पुलिसकर्मियों के बच्चों को फीस की 50 फीसदी छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की।

इस दौरान मोशन एजुकेशन के चेयरमैन सुरेंद्र विजय, डायरेक्टर सुशीला विजय, डॉ.स्वाति विजय, जॉइंट डायरेक्टर रामरतन द्विवेदी, अमित वर्मा सहित कई सीनियर फेकल्टी मौजूद थे। कार्यक्रम का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान 53 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाईन लाईव जुड़े हुए थे।

जानलेवा हमले के दो दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। जानलेवा हमले के करीब साढ़े 5 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-5 ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई। फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-5 के न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी तौफिक उर्फ ढक्कन और शाकिब उर्फ मुर्गा को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई साथ ही 29-29 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में न्यायालय ने एक आरोपी राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को मामले से बरी किया। अपर लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को परिवादी संदीप सोलंकी ने कैथूनीपोल थाने में रिपोर्ट दी। परिवादी ने रिपोर्ट में कहा कि 12 जुलाई 2019 की रात्रि को वह अप्पू, सुरेन्द्र के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था। परिवादी ने कहा कि तभी बाईक से तौफिक उर्फ ढक्कन आया बाईक पर दो जने और बैठे थे बाईक को शाकिब उर्फ मुर्गा चल रहा था। परिवादी ने कहा कि तौफिक व अन्य ने जान से मारने की नियत से अचानक से फायरिंग कर दी। जिसमें वह बाल-बाल बच गये, फायरिंग की आवाज से मौके पर भीड़ जमा हो गई जिस पर तौफिक व अन्य फरार हो गये।

पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और मामले में अनुसंधान करते हुए मोखापाडा निवासी तौफिक उर्फ ढक्कन, विज्ञान नगर निवासी शाकिब उर्फ मुर्गा व इन्द्राकॉलोनी निवासी राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को गिरफ्तार किया।

सहायक उपकरण वितरण आज

कोटा, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कृषि प्रबंधन केन्द्र सिआम ऑडिटोरियम नयापुरा में 27 मार्च, गुरूवार को दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये जायेंगे। विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया ने बताया कि इसके लिए महाराव भीमसिंह राजकीय अस्पताल स्थित भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में बुधवार को दिव्यांगजनों को उनकी पात्रता, आवेदन अनुसार ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी एवं नेत्रहीन दिव्यांगों को ब्लांइड स्टीक आदि सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए आवेदकों का चयन किया गया है। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी एवं नेत्रहीन दिव्यांगों को ब्लांइड स्टीक आदि सहायक उपकरणों की आवश्यकता हो वे दिव्यांगजन अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र, यू.डी.आईडी कार्ड आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (पेंशन स्वीकृति आदेश) आदि दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन करवाकर सिआम ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।

हिंदी कार्यशाला एवं पुस्तक प्रदर्शनी

कोटा, (निसं)। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कोटा में बुधवार को अधिकारी वर्ग के लिए हिंदी कार्यशाला एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की।

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः-न.पा.भ./भूमि/2025/943 दिनांकः-26.03.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका भवानीमण्डी में सीमान्तर्गत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण/निर्माण स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगरपालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम/पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	श्रीमती प्रेमलता खण्डेलवाल पत्नी श्री दिनेशचन्द्र खण्डेलवाल एवं श्रीमती शशी देवी पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद खण्डेलवाल	बालाजी चौराहा से गर्ल्स स्कूल चौराहा के पास भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
2.	श्री कन्हैयालाल नागर आ. श्री गोपाल लाल	खाटूश्याम विहार-2 आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 17 बांडिया बाग जाने वाले रास्ते पर मांडवी	निर्माण स्वीकृति
3	श्रीमती भगवती पाटीदार पत्नी श्री रामगोपाल पाटीदार	महालक्ष्मी नगर आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 15 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
4	श्री रामगोपाल पाटीदार आ. श्री मांगीलाल पाटीदार	महालक्ष्मी नगर आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 16 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
5	श्रीमती गिरिजा व्यास पत्नी श्री राकेश भट्ट	इन्द्र विहार आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 103 भीमनगर भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
6	श्री महावीर सिंह मण्डलोई आ. श्री राम सिंह मण्डलोई	प्लॉट नं. 04 का पश्चिमी भाग एवं प्लॉट नं. 05 का पूर्वी भाग एस.एम.एस. नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
7	श्री सुहेल खान जिलानी आ. श्री अब्दुल अजीज जिलानी	प्लॉट नं. 05 का पूर्वी भाग व प्लॉट नं. 06 एस.एम.एस. नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
8	श्री सईदउद्दीन आ. श्री अब्दुल गफुर	प्लॉट नं. 04 का पूर्वी भाग एस.एम.एस. नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
9	श्री दीपक कुमार सोनी आ. स्व. श्री श्यामलाल सोनी	बालाजी चौराहे से पावर हाउस रोड पर रामद्वारा के सामने वार्ड नं. 40 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
10	श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा	अनन्त विहार आवासीय कालोनी प्लॉट नं. ए-35 का पूर्वी भाग व ए-35 का पश्चिमी भाग भवानीमण्डी	प्लॉट का पूर्नगठन
11	श्रीमती संगीता तंवर पत्नी श्री संतोष कुमार बारेशा	कृष्णा नगर (सुमेर) आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 116 का 1/2 हिस्सा	प्लॉट का उपविभाजन
12	श्री सुरज आ. श्री मांगीलाल	प्लॉट नं. ए-267 का पश्चिमी भाग रेलवे क्रासिंग के पास अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	प्लॉट का उपविभाजन
13	श्री सूरज आ. श्री मांगीलाल	प्लॉट नं. ए-267 का पश्चिमी भाग अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	प्लॉट का उपविभाजन
14	श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री बापूलाल	अनन्त विहार आवासीय कालोनी प्लॉट नं. सी-86 का दक्षिणी भाग भवानीमण्डी	प्लॉट का उपविभाजन
15	श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री बापूलाल	अनन्त विहार आवासीय कालोनी प्लॉट नं. सी-86 का दक्षिणी भाग भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
16	श्रीमती संगीता तंवर पत्नी श्री संतोष कुमार बारेशा	कृष्णा नगर (सुमेर) आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 116 का 1/2 हिस्सा	लीज हस्तान्तरण
17	श्री महेश कुमार आ. श्री बसन्तीलाल	प्लॉट नं. 141 त्रिमूर्ति नगर आवासीय कालोनी पचपहाड	लीज हस्तान्तरण
18	श्री कालूलाल आ. श्री बसन्तीलाल	प्लॉट नं. 140 त्रिमूर्ति नगर आवासीय कालोनी पचपहाड	लीज हस्तान्तरण
19	श्री सुरज आ. श्री मांगीलाल	प्लॉट नं. ए-267 का पश्चिमी भाग अनन्त विहार आवासीय कालोनी	लीज हस्तान्तरण
20	श्री दिलीप कुमार जैन आ. श्री भंवरलाल जैन	बालाजी मंदिर की गली भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
21	श्री राहुल आचौलिया	प्लॉट नं. 50 व 51 पार्श्वनाथ विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
22	श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा	प्लॉट नं. ए-35 का दक्षिणी भाग अनन्त विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
23	श्रीमती नैन कुंवर मेघवाल पत्नी श्री अनिल कुमार	प्लॉट नं. 22 अहिंसा नगर आवासीय कालोनी पशु अस्पताल के पीछे नई विकसित कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
24	श्री लालचन्द आ. श्री भंवरलाल	प्लॉट नं. 48 अहिंसा नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
25	श्रीमती निर्मला नागर पत्नी श्री हरीश नागर	प्लॉट नं. 49 का पश्चिमी भाग श्री कृष्ण आवासीय कालोनी माण्डवी	लीज हस्तान्तरण
26	श्री किशनलाल जाट आ. श्री रतनलाल जाट एवं श्री सुरेश चन्द जाट आ. श्री रतनलाल जाट	प्लॉट नं. 8 विनायक नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
27	श्री विष्णु कुमार आ. स्व. श्री दूधा लाल	प्लॉट नं. 44 का पश्चिमी भाग रामनगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
28	श्री अब्दुल अजीज आ. श्री अब्दुल मजीद	प्लॉट नं. 46 शिक्षक नगर आवासीय कालोनी शिवालय रोड पर बनदे के पास भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
29	श्रीमती अफसाना बेगम पत्नी श्री मोहम्मद इशाक	साक्षी विहार आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 89 न्यू बस स्टेण्ड के पास नई विकसित कालोनी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
30	श्रीमती संगीता बाई पत्नी श्री कमलेश	न्यू दस खोली आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 45 का दक्षिणी भाग भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
31	श्री कमलेश कुमार आ. श्री गंगाराम	प्लॉट नं. 108 बजरंग नगर 2 आवासीय कालोनी गंगपुरा भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
32	श्रीमती चंदा बाई पत्नी श्री पूनम चंद	बाबा रामदेव नगर आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 24 गुराडिया भर्ता	आवासीय कालोनी
33	श्रीमती धन्नी बाई पत्नी श्री ईश्वरलाल मीणा	गंगा आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 38 भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
34	श्री अमीन उद्दीन आ. श्री चांद मोहम्मद मंसूरी	रॉयल रेजीडेन्सी आवासीय कालोनी प्लॉट नं. 01 मेट्रो हॉस्पीटल के पास भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
35	श्री विनोद कुमार अग्रवाल आ. श्री कन्हैयालाल	प्लॉट नं. 43 अन्नपूर्णा रेजीडेन्सी कालोनी माण्डवी	आवासीय कालोनी
36	श्री मयंक अग्रवाल आ. श्री विनोद कुमार अग्रवाल	प्लॉट नं. 42 अन्नपूर्णा रेजीडेन्सी कालोनी माण्डवी	आवासीय कालोनी
37	श्री जानकी लाल मेहर आ. श्री विशनलाल	प्लॉट नं. 01 बजरंग नगर 2 आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
38	श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा	अनन्त विहार आवासीय कालोनी प्लॉट नं. ए-35 का पूर्वी भाग व ए-35 का पश्चिमी भाग भवानीमण्डी	प्लॉट का पूर्नगठन
39	श्री सौभागमल जैन आ. स्व. श्री बापूलाल जैन	वार्ड नं. 13 सीमेन्ट गली भवानीमण्डी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
40	श्री हरजीत सिंह आ. स्व. श्री करतार सिंह जी सिक्ख	नेहरु पार्क से भैरु मंदिर रोड पर वार्ड नं. 18 भवानीमण्डी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
41	श्री युधिष्ठर परतानी आ. श्री राधेश्याम परतानी	विजय टॉकिज के पास वार्ड नं. 40 भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भवानीमण्डी

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार तौफीक अहमद पुत्र मरहूम लईक अहमद निवासी-631 नागर कॉलोनी शिव मंदिर मासूम अली दरगाह के पास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा (राजस्थान) के पिता लईक अहमद द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 23.05.2019 को नन्दकिशोर प्रजापति पुत्र श्री छोटूलाल उर्फ छोटेलाल जी निवासी-1010 छावनी हरिजन बस्ती कोटा के मालिकाना स्वामित्व, कब्जे व आधिपत्य की पुश्तैनी आराजी 298/266 की रकबा 0.20 हैक्टेयर एरिया लगभग 45000 वर्गफीट वाके भाटिया वर्कशॉप के सामने ग्राम थेकड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान) में स्थित है, को खरीद किया था तथा मेरे पक्षकार के पिता श्री लईक अहमद का दिनांक 30.01.2025 को इन्तेकाल हो चुका है तथा तब से उक्त भूमि पर मेरे पक्षकार व उसके परिवारजन का श्री लईक अहमद के विधिक वारिसान होने के नाते कब्जा व अधिकार चला आ रहा है। अतः कोई भी अन्य व्यक्ति उक्त भूमि पर कब्जा करने अथवा उक्त भूमि को कही भी रहन, बेचान व अन्तरण करने का प्रयास ना करें, ना ही अन्य किसी व्यक्ति से कोई भी संव्यवहार करें अन्यथा उक्त संव्यवहार के लिए एवं बाद में होने वाले परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। कृपया सूचित हो।

दिनांक : 26.3.25

भवदीय
अतीश सक्सेना एडवोकेट

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री जाहिद हुसैन अंसारी पुत्र स्व. श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी द्वारा उनके स्वामित्व की दुकान (बिना छत) भूखंड संख्या-282 के दक्षिणी-पूर्वी भाग शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) कोटा क्षेत्रफल 400 वर्गफुट है को डी.सी.बी.बैंक लिमिटेड शाखा कोटा में रहन रख ऋण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति श्री जाहिद हुसैन अंसारी को अपने पिता स्व. श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी द्वारा उनकी वसीयत से उनकी मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई है। उक्त वसीयतनामे का प्रमाणन नोटेरी पब्लिक साबिर मियां के रजिस्टर में क्रम संख्या 306 दिनांक 26.01.2016 को हो रहा है। यह कि उक्त सम्पत्ति श्री जाहिद हुसैन अंसारी को अपने पिता स्व. श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र-पुत्रियों द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र (रिलीज डीड) से प्राप्त हुई है।

यह कि उक्त सम्पत्ति को रहन कर ऋण देने के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य को किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवदीय
कमल गुप्ता एडवोकेट
एम.पी.ए. 53 महावीर नगर द्वितीय कोटा
मो. 9414288889

कोटा स्टेशन पर घर से भागे नाबालिक को चेकिंग स्टॉफ ने सुपुर्द किया

कोटा, (निसं)। मंडल में कार्यरत फ्रंटलाइन स्टॉफ अपनी ड्यूटी निभाने के साथ कई जनसरोकार से जुड़े कार्य को करने की सराहनीय भूमिका निभाते है।

इसी क्रम में मंगलवार देर शाम कोटा स्टेशन पर 14-22 शिफ्ट में तैनात आनड्यूटी मुख्य टिकट निरीक्षक स्टेशन लक्ष्मीकांत मीणा के साथ चैकिंग स्टॉफ नरेंद्र सिंह चौधरी एवं विष्णु कुमारी ने चैकिंग ड्यूटी के दौरान यात्री प्रतीक्षालय में एक लड़का और लड़की संदिग्ध अवस्था में मिलें। जिससे पूछताछ करने पर आपसी रिश्ते के बारे में संतोषजनक नहीं दिए और अपने आप को दोनों भाई-बहन बता रहे थे जब उनसे कहा गया कि आप अपने माता-पिता से बात करों तो आनाकानी करने लगे और कहा कि पिताजी रात को 11.00 बजे आते हैं हमने कहा आपके परिवार के कोई सदस्य से बात करवा दो तो उन्होंने मना कर दिया।

चैकिंग स्टाफ ने उक्त मामलें सजगता दिखाते हुए आरपीएफ उप निरीक्षक सुमित रघुवंशी को सूचित किया। आरपीएफ पूछताछ से पता चला लड़का और लड़की घर से भागे हुए थे लड़की की उम्र 12 साल है और उनके खिलाफ उत्तरप्रदेश के बदायूँ थाने में एफआईआर दर्ज निकली। नाबालिक को परिवारजन की सुपुर्दगी के लिए आरपीएफ थाने द्वारा अग्रिम करवाई की जा रही है।

अवैध रूप से बजरी परिवहन करते दो ट्रेलर जब्त

कोटा, (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए दो ट्रेलर को जब्त किया। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि अवैध रूप से बजरी खनन व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत नान्ता थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने मय जाप्ता बूंदी रोड़ पर कार्यवाही करते हुए बजरी से भरे दो ट्रेलर को चैक करने पर विभाग द्वारा खनन नही होने व अवैध रूप से परिवहन करने पर दोनो ट्रेलर को डिटेन किया और आगे की कार्यवाही के लिये खनिज विभाग से पत्राचार किया।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-79 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांकः-26.3.25

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखंड/आवास संख्या 1614 का आवंटन/रजि./हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 24.04.2010 को श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री पं. मदनलाल शर्मा को किया गया था। आवंटी की मृत्यु दिनांक 30.03.2014 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड (हक त्याग), शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास का अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1614 योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्री बेणी प्रसाद पुत्र श्री मदनलाल शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2025/227 दिनांकः-26.03.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या E-4 रॉयल पार्क रायपुरा योजना कोटा का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 31.03.2015 द्वारा श्री मुकेश मीणा पुत्र श्री धन्नालाल मीणा को आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री अलाउद्दीन पुत्र श्री बाबूलाल के द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2023 को श्रीमती रितु गौतम पत्नी श्री श्याम बिहारी को विक्रय कर दिया गया है। उक्त आवास/भूखंड विक्रेता श्रीमती रितु

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त आवास/भूखंड का हस्तांतरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या E-4 रॉयल पार्क रायपुरा योजना कोटा के स्वामित्व हस्तांतरण की स्वीकृति श्रीमती रितु गौत्तम पत्नी श्री श्याम बिहारी के नाम कर दी जायेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

क्रमांकः-ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7375-76 दिनांकः-25.3.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री उमाशंकर बसवाल पुत्र श्री प्रभूलाल निवासी बसवाल विला 17 रॉयल एन्क्लेव देवली अरब रोड बोरखेडा कोटा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "DRINX RESTRO BAR" प्लॉट नं. 15 स्टोन मण्डी अन्नतपुरा योजना कोटा में संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। सूचित हो।

राजस्व अधिकारी नगर निगम कोटा (दक्षिण)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2024-25/100922 **लोक सूचना** दि.26.03.2025

श्री BIJENDRA BAIRWA पुत्र श्री JOHARI जाति BAIRWA निवासी WARD NO 0, FATEHP